मध्यप्रदेश विधान सभा

दिसम्बर, 2019 सत्र

दैनिक कार्य सूची

बुधवार, दिनांक 18 दिसम्बर, 2019 (अग्रहायण 27, 1941)

समय 11.00 बजे दिन.

1. प्रश्नोत्तर.

पृथकत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. अध्यादेशों का पटल पर रखा जाना.

श्री पी.सी. शर्मा, विधि और विधायी कार्य मंत्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 की अपेक्षानुसार निम्नलिखित अध्यादेशों को पटल पर रखेंगे -

(क) मध्यप्रदेश स्थानीय प्राधिकरण (निर्वाचन अपराध) संशोधन अध्यादेश, 2019 (क्रमांक 6 सन् 2019), तथा

(ख) मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2019 (क्रमांक 7 सन् 2019).

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना.

(1) श्री कमल नाथ, मुख्यमंत्री, कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) (ख) की अपेक्षानुसार-

(क) डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017-2018, एवं

(ख) म.प्र.औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (उज्जैन) लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017-2018,

पटल पर रखेंगे.

(2) श्री प्रदीप जायसवाल, खनिज साधन मंत्री, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार-

(क) दि मध्यप्रदेश स्टेट माईनिंग कारपोरेशन लिमिटेड, भोपाल का 55 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017-2018, तथा

(ख) मध्यप्रदेश जिला खनिज प्रतिष्ठान नियम, 2016 के नियम 18 (3) की अपेक्षानुसार-

(i) जिला खनिज प्रतिष्ठान कटनी, छतरपुर, रीवा, सीधी, नरसिंहपुर, उमरिया, ग्वालियर एवं सतना के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016-2017,

(ii) जिला खनिज प्रतिष्ठान बैतूल, ग्वालियर, नरसिंहपुर, सागर, सतना, धार, सिंगरौली के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017-2018, एवं

(iii) जिला खनिज प्रतिष्ठान रीवा, अनूपपुर, सीधी, धार, ग्वालियर, छतरपुर, सिंगरौली के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-2019,

पटल पर रखेंगे.

(3) श्री गोविन्द सिंह राजपूत, राजस्व मंत्री, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 258 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार निम्न अधिसूचनाएं -

(क) क्रमांक एफ 2-2-2019-सात-शा-7, भोपाल, दिनांक 18 जुलाई, 2019,

(ख) क्रमांक एफ 2-7/2019/सात/शा.7, भोपाल, दिनांक 18 जुलाई, 2019, एवं

(ग) क्रमांक एफ-2-11-2018-सात-शा.-7, भोपाल, दिनांक 14 जून, 2019,

पटल पर रखेंगे.

(4) डॉ. प्रभुराम चौधरी, स्कूल शिक्षा मंत्री, नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (क्रमांक 35 सन् 2009) की धारा 38 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार निम्न अधिसूचनाएं -

(क) क्रमांक एफ 44-23-2015-बीस-2, दिनांक 01 अक्टूबर, 2019, एवं

(ख) क्रमांक एफ 44-23-2015-बीस-2, दिनांक 02 मार्च, 2019,

पटल पर रखेंगे.

(5) श्री प्रियव्रत सिंह, ऊर्जा मंत्री -

(क) विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 105 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-2019, एवं

(ख) कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) (ख) की अपेक्षानुसार एम.पी. पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर का 12 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017-2018,

पटल पर रखेंगे.

(6) श्री सुखदेव पांसे, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री, कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित का छठवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017-2018 पटल पर रखेंगे.

(7) श्री उमंग सिंघार, वन मंत्री, मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता नियम, 2004 के नियम 21 (3) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017-2018 पटल पर रखेंगे.

(8) श्री हर्ष यादव, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री, कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड का 35 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016-2017 पटल पर रखेंगे.

(9) श्री लखन घनघोरिया, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण मंत्री, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (क्रमांक 49 सन् 2016) की धारा 83 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार आयुक्त, नि:शक्तजन, मध्यप्रदेश का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017-2018 पटल पर रखेंगे.

(10) श्री सचिन सुभाष यादव, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 (क्रमांक 4 सन् 2009) की धारा 42 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.) की वैधानिक आडिट रिपोर्ट वर्ष 2017-2018 पटल पर रखेंगे.

4. जुलाई, 2019 सत्र निर्धारित अवधि के पूर्व स्थगित हो जाने के फलस्वरूप दिनांक 25 एवं 26 जुलाई, 2019 की प्रश्नोत्तर सूची तथा फरवरी, 2019 एवं जुलाई, 2019 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का संकलन खण्ड-2 पटल पर रखा जाना.

5. नियम 267 - क के अधीन जुलाई, 2019 सत्र में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना.

6. सभा द्वारा यथापारित मध्यप्रदेश माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 11 सन् 2019) के संबंध में राज्यपाल महोदय की ओर से प्राप्त संदेश का पढ़ा जाना.

7. पुनर्विचार के लिए लौटाए गये विधेयक का पटल पर रखा जाना.

8. राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना.

9. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण.

(1) श्री कुँवर सिंह टेकाम, सदस्य, सीधी जिले में ग्राम सड़क निर्माण में लगे मजदूरों की मजदूरी का भुगतान न होने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री प्रवीण पाठक, श्रीमती सुमित्रा देवी कास्डेकर, सदस्य, प्रदेश में तेंदूपत्ता संग्राहकों को स्मार्ट कार्ड प्रदाय न किये जाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) श्री उमाकांत शर्मा, सदस्य, प्रदेश के प्रतिभावान छात्रों को छात्रवृत्ति का लाभ न दिये जाने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) श्री विनय सक्सेना, सदस्य, मंडला एवं डिण्डोरी जिले में सौभाग्य योजना के तहत किये गये विद्युतीकरण के कार्य में अनियमितता की ओर ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

10. सभापति तालिका की घोषणा.

11. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति.

(1) डॉ. नरोत्तम मिश्र, सभापति, लोक लेखा समिति का प्रथम से सत्रहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(2) श्री लक्ष्मण सिंह, सभापति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का पन्द्रहवां से उन्नीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(3) कुंवर विक्रम सिंह, सभापति, प्रश्न एवं संदर्भ समिति का प्रथम (कार्यान्वयन) प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

12. याचिकाओं की प्रस्तुति.

(1) श्री विक्रम सिंह, सदस्य, सतना जिले के ग्राम छिवौरा हायर सेकेण्डरी स्कूल में स्टेडियम निर्माण किये जाने,

(2) डॉ. सीतासरन शर्मा, सदस्य, प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण हेतु सख्त प्रभावी कानून बनाये जाने,

(3) श्री उमाकांत शर्मा, सदस्य, विदिशा जिले के ग्राम गोलाखेड़ा में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत सड़क का निर्माण कराये जाने,

(4) श्री कुंवरजी कोठार, सदस्य, राजगढ़ जिले के ग्राम टिकौद में नवीन सब-स्टेशन स्थापित कराये जाने,

(5) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया, सदस्य, मंदसौर जिले के मिड इण्डिया अण्डर ब्रिज की शेष राशि का भुगतान कराये जाने,

(6) श्री दिलीप सिंह गुर्जर, सदस्य, उज्जैन जिले के नागदा नगर की चंबल नदी के पानी को पाईप लाईन द्वारा राजगढ़ के समीप छोड़कर उस स्थान पर एक बड़ा स्टॉप डेम का निर्माण किये जाने,

(7) श्री विश्वास सारंग, सदस्य, रायसेन जिले की जामगढ़ उदवहन सिंचाई योजना के पंप हाऊस तक सड़क का निर्माण किये जाने,

(8) श्री देवेन्द्र वर्मा, सदस्य, खण्डवा से इन्दौर जाने वाली बसों को 52 सीटर किये जाने,

(9) श्री शिवनारायण सिंह, सदस्य, उमरिया जिले के ग्राम हर्रवाह के हाईस्कूल का हायर सेकेण्डरी स्कूल में उन्नयन किये जाने,

(10) श्री दिनेश राय 'मुनमुन', सदस्य, सिवनी जिले के ग्राम कुकलाह से गोरखपुर खुर्द मार्ग एवं ग्राम राहीवाड़ा से खमरिया तक मार्ग का निर्माण कराये जाने,

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

निर्धारित समय

13. संकल्प.

डॉ. गोविन्द सिंह, संसदीय कार्य मंत्री, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

30 मि. "यह सभा संकल्प करती है कि मध्यप्रदेश विधान सभा का प्रत्येक सदस्य स्वयं की तथा परिवार के आश्रित सदस्यों की आस्तियों तथा दायित्वों का विवरण, चुनाव में उम्मीदवार द्वारा जानकारी देने हेतु निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अथवा चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा प्रमाणित वार्षिक विवरणी के रूप में, दिनांक 31 मार्च की स्थिति में प्रति वर्ष 30 जून तक प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा को प्रस्तुत करेगा और इस प्रकार प्रस्तुत विवरण मध्यप्रदेश विधान सभा की वेबसाईट पर प्रदर्शित किया जायेगा."

14. शासकीय विधि विषयक कार्य.

(1) डॉ. विजयलक्ष्मी साधौ, चिकित्सा शिक्षा मंत्री, मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद् (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 27 सन् 2019) के पुर:स्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगी तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगी.

(2) श्री हुकुम सिंह कराड़ा, जल संसाधन मंत्री, मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 28 सन् 2019) के पुर:स्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

(3) श्री जीतू पटवारी, उच्च शिक्षा मंत्री, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 29 सन् 2019) के पुर:स्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

(4) श्री जीतू पटवारी, उच्च शिक्षा मंत्री, महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 30 सन् 2019) के पुर:स्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

(5) श्री जीतू पटवारी, उच्च शिक्षा मंत्री, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 31 सन् 2019) के पुर:स्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

15. वर्ष 2019-2020 के प्रथम अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन.

श्री तरुण भनोत, वित्त मंत्री, वर्ष 2019-2020 के प्रथम अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन करेंगे.

16. शासकीय विधि विषयक कार्य.

(1) डॉ. विजयलक्ष्मी साधौ, चिकित्सा शिक्षा मंत्री, प्रस्ताव करेंगी कि मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद्
30 मि. (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 27 सन् 2019)) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगी कि विधेयक पारित किया जाय.

(2) श्री हुकुम सिंह कराड़ा, जल संसाधन मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी
30 मि. (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 28 सन् 2019)) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

(3) श्री जीतू पटवारी, उच्च शिक्षा मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक,
30 मि. 2019 (क्रमांक 29 सन् 2019)) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

(4) श्री जीतू पटवारी, उच्च शिक्षा मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय (संशोधन)
30 मि. विधेयक, 2019 (क्रमांक 30 सन् 2019)) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

(5) श्री जीतू पटवारी, उच्च शिक्षा मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय
30 मि. (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 31 सन् 2019)) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

17. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा.

1 घण्टा प्रदेश में यूरिया खाद के गंभीर संकट तथा प्रदेश में अतिवृष्टि से फसलों को हुए नुकसान से उत्पन्न स्थिति के संबंध
30 मि. में डॉ. नरोत्तम मिश्र, सदस्य, चर्चा उठायेंगे.

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 17 दिसम्बर, 2019